

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of the General
Manager (Vig)
Gorakhpur - 273012



कार्यालय
महाप्रबंधक / सतर्कता
गोरखपुर - 273012

No. Z13/V7/2024/09/01519

Dated:- 24.04.2025

प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर
पू.उ.रेलवे, गोरखपुर

विषय:- Power car operator and LSRD operator staff के cash declaration एवं ID card के संबंध में पद्धति सुधार ।

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में Power car operator and LSRD operator staff के Travel authority एवं Personal cash declaration को संज्ञान में लेकर किये गये सतर्कता जांच में प्राप्त अनियमितताओं एवं आवश्यक सुधार हेतु सुझाव निम्नवत है:-

क्र.सं.	पायी गयी कमियां	सुधार हेतु सुझाव
1	गाड़ी सं. 15010 में कार्यरत फर्म कर्मचारियों (Power car operator and LSRD operator staff) के ID कार्ड व lanyard पर North Eastern Railway प्रिन्टेड पाया गया।	Power car operator and LSRD operator staff को जारी किये जाने वाले ID card एवं lanyard पर रेलवे से संबंधित संकेत (जैसे: logo of Indian Railways or State Emblem अथवा "Railway" शब्द का प्रयोग इत्यादि) होने की दशा में Power car operator and LSRD operator staff द्वारा उक्त ID card के प्रयोग से रेल यात्रियों को प्रभावित कर अनुचित लाभ लिये जाने की संभावना है। अतः Power car operator and LSRD operator staff के ID card एवं lanyard पर रेलवे से संबंधित संकेत का प्रयोग नहीं किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है एवं उक्त का उल्लंघन होने पर फर्म के विरुद्ध पेनाल्टी का प्रावधान करारनामे में किये जाने की आवश्यकता है।
2	जांच के समय दोनों कर्मचारियों का प्राइवेट कैश घोषित किया हुआ, परन्तु रेल पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित नहीं पाया गया (C/1 & 2), करारनामा में Power car operator and LSRD operator staff द्वारा निजी धन की घोषणा किये जाने तथा उसे रेलवे पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किये जाने का प्रावधान नहीं पाया गया।	करारनामा में Power car operator and LSRD operator staff द्वारा यात्रा प्रारम्भ के समय निजी धन घोषित किये जाने तथा निजी धन की अधिकतम सीमा निर्धारण किये जाने एवं फर्म कर्मचारी द्वारा घोषित निजी धन को रेलवे पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। Power car operator and LSRD operator staff के पास घोषित निजी धन से अधिक पाये जाने की स्थिति में फर्म के विरुद्ध deterrent पेनाल्टी कटौती का प्रावधान करारनामा में किये जाने की आवश्यकता है।
3	जांच में करारनामा में पावर कार में अनाधिकृत व्यक्ति के पाये जाने पर ₹ 3000 + Actual fare की पेनाल्टी का प्रावधान उल्लिखित है, परन्तु इन गतिविधियों में लिप्त पाये जाने वाले फर्म कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं पाया गया।	इस प्रकार की अनियमितता (जैसे-घोषित निजी धन से अधिक धन पाया जाना, यात्री के साथ money transaction में लिप्त होना, पावर कार में अनाधिकृत व्यक्तियों को यात्रा कराना) में संलिप्त Defaulting Power car operator and LSRD operator staff का जोनल स्तर पर डाटाबेस बनाया जाने तथा उपरोक्त Defaulting staff को Onboard Train Services के कार्य में प्रयुक्त नहीं किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है।
4.	जांच में दोनों फर्म कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त पायी गयी।	Power car operator and LSRD operator staff का कार्य संवेदनशील प्रकृति का है, अतः उक्त कार्य हेतु नामित फर्म कर्मचारियों के वैध पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
5.	करारनामा में कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा Power car operator and LSRD operator staff को आवश्यक टूल्स उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया है, परन्तु आवश्यक टूल्स का विवरण करारनामा में नहीं पाया गया।	Scope of Work के अनुसार Power car operator and LSRD operator staff का कार्य पूर्णतः technical प्रकृति का है। संरक्षा एवं कार्य गुणवत्ता की दृष्टि से करारनामा में आवश्यक टूल्स का वर्णन किया जाना चाहिए।

उक्त पर SDGM महोदय का अनुमोदन प्राप्त है। उपरोक्त सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से सतर्कता कार्यालय को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(ए० पी० पाण्डेय)
उप मुसताधि / यांत्रिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता